



गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड

(रक्षा मंत्रालय के अधीन भारत सरकार का उपक्रम)
"आईएसओ 9001 – 2015 प्रमाणित कंपनी"

43/46, गार्डन रीच रोड, कोलकाता – 700024

सीआईएन : एल35111डबल्यूबी1934जीओ1007891

वेबसाइट : www.grse.in

विक्रेता विकास विभाग

फोन : 033 2469-8100 से 8115 एक्सटेंशन : 706/648/647/769;

ई-मेल : vd.onlineregistration.grse@grse.co.in

फैक्स : (033) 2469-8150

जीआरएसई विक्रेता पंजीकरण प्रक्रिया

विक्रेता द्वारा कार्रवाई

चरण -1 - ऑनलाइन पंजीकरण / जमा करने की सुविधा जीआरएसई की वेबसाइट www.grse.in पर उपलब्ध है; जीआरएसई वेबसाइट में विक्रेता पंजीकरण नीति / प्रक्रिया एवं मैनुअल विक्रेता पंजीकरण फॉर्म (वीआरएफ) भी उपलब्ध हैं। इच्छुक फर्म उपरोक्त को ऑनलाइन – या - वीआरएफ फॉर्म का उपयोग कर सकती है और विक्रेताओं द्वारा उसे सहायक दस्तावेजों के साथ विधिवत भरा जाना है।

विक्रेता पंजीकरण सैल द्वारा कार्रवाई :

चरण – II - विक्रेता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का सत्यापन किया जाना। विक्रेता दस्तावेजों के आधार पर उत्पाद सेवा समूह का चयन किया जाना। कोई दस्तावेज यदि कम हैं तो विक्रेता को सूचित करना। यदि आवश्यक हो तो कंपनी सचिव / विधि अधिकारी से भी सलाह ली जा सकती है।

चरण – III - विक्रेता मूल्यांकन समिति (वीएसी) के समक्ष प्रस्तुत करना, जिसमें एनसीएम / खरीद / वित्त / डिजाइन और विक्रेता विकास विभाग के सदस्य शामिल होंगे।

चरण – IV - वीएसी की सिफारिश पर, वेंडर विकास विभाग वित्तीय जांच और विक्रेता की व्यवहार्यता के लिए एफ-एफसी सैल के माध्यम से फाइल को प्रोसेस करेगा।

चरण - V - एफ-एफसी से मंजूरी के बाद, यदि आवश्यक हो, संबंधित विभाग की तकनीकी टीम द्वारा विक्रेता के कार्यों / संस्थान का मूल्यांकन किया जाएगा और अंतिम अनुमोदन प्रभारी (विक्रेता विकास विभाग) द्वारा किया जाएगा।

नोट : विक्रेता, यदि डीक्यूए / रक्षा शिपयार्डों / पीएसयू के साथ पंजीकृत हैं, तो उनका पंजीकरण सामान्य औपचारिकताओं से गुजरे बिना उनका आवेदन प्राप्त होने पर ही कर दिया जाएगा। (बशर्ते कि पंजीकरण संबंधी औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए उनके द्वारा प्रासंगिक दस्तावेज जमा कर दिए गए हों)